



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 8, 2018/फाल्गुन 17, 1939

No. 124]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 2018/PHALGUNA 17, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 212(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, चिकित्सा कांडर समूह 'ग' पद (योधक) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का नाम सीमा सुरक्षा बल, चिकित्सा कांडर समूह 'ग' पद (योधक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल चिकित्सा कांडर, समूह 'ग' पद (योधक) भर्ती नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्—
"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"
- उक्त नियमों की अनुसूची में—
(क) कांस्टेबल (मशालची), कांस्टेबल (टेबल बाय), कार्टेबल (वाइ बाय/वाइ गर्ल/आया) और कार्टेबल (केहार) के पद से संबंधित कम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-3 (रु. 21700-69100/-)";

(ख) कांस्टेबल (चपरासी) के पद से संबंधित कम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"स्तर-3 (रु. 21700-69100/-)";

[फा. सं. 17/135/2016—कार्मिक/सीसुबल]

विनोद कुमार, अवर सचिव (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 341, तारीख 24 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2018

G.S.R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Border Security Force, Medical Cadre, Group 'C', posts (Combatised) Recruitment Rules, 2011, namely :

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Medical Cadre, Group 'C' Posts (Combatised) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force, Medical Cadre, Group 'C' posts (Combatised) Recruitment Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the said rules, in the Schedule,
 - (a) against serial number 1 relating to the post of Constable (Mashalchi), Constable (Table Boy), Constable (Ward Boy/Ward Girl/Aya) and Constable (Kahar), in Column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix
(4)
Level-3(Rs. 21700-69100/-)";

- (b) against serial number 2 relating to the post of Constable (Peon), for the existing entry under column (4), the following shall be substituted, namely:—

"Level-3(Rs. 21700-69100/-)".

[F. No. 17/135/2016/Pers/BSF]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 341, dated 24th December, 2011.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.07 11:08:05

